



1. उक्त वादों में उक्त भूमि रिसीवर में थी लेकिन उप जिला कलेक्टर गंगापूर सिटी ने उक्त भूमि को रिसीवर से वापस कर देने का आदेश नहीं दिया है तथा अपने आदेश में केवल प्रतिवादीगण को वेदखली कर रथायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का आदेश दिया है तथा यह भी उक्त नहीं दिया है कि उक्त भूमि 13.10.2023 तक रिसीवर के कब्जेराज में मानकर पञ्चवसन को 13.10.2023 को उक्त भूमि नीलाम करने का नोटिस दिया गया लेकिन नायब तहसीलदार गंगापूर सिटी ने कानूनी प्रावधानों को ताक में रखकर अदालत उप जिला कलेक्टर गंगापूर सिटी के आदेश के अनुसार वेदखली की कार्यवाही नहीं कर अवैध रूप से अपीलान्ट को धारा 91 लेण्ड रेवन्यू एक्ट का नोटिस जारी कर दिया जबकि खातेदारी भूमि पर धारा की कार्यवाही नहीं की जा सकती तथा उप जिला कलेक्टर गंगापूर सिटी में दावा लिखी होने के बाद जो इजराय विचाराधीन है उसके अनुसार ही वेदखली की कार्यवाही करना आवश्यक था इसलिए अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून निरस्त होने योग्य है।

वकील अपीलार्थी ने तीशने बहस यह भी निवेदन किया कि अपीलान्ट पश्चातवृत्ति अतिक्रमी की परिभाषा में नहीं आते हैं क्योंकि अदालत मातहत द्वारा निलामी कार्यवाही करने के लिये उक्त भूमि रिसीवर के कब्जे में मानकर दिनांक 13.10.23 को उक्त भूमि निलाम करने की कार्यवाही करने का नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस के अनुसार 13.10.2023 के बाद केवल एक फसल पैदा हो सकती है एवं दो फसल पैदा नहीं हो सकती, साथ ही अधिवक्ता अपीलान्ट ने उक्त अपील अपीलार्थी रतीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए परोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमिता आराजी पर अपीलार्थी का अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

दोनों पक्षों की बहस सुनने, उस पर गहन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु नोटिस जारी किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतीचारी होने के प्रश्न है तो पटवारी हल्का ने अपने बयान में पश्चातवृत्ति अतिक्रमण होना अंकित किया हुआ है। तहसीलदार गंगापूर सिटी के पत्रांक 139 दिनांक 22.07.2024 द्वारा संलग्न पटवारी हल्का से प्राप्त नवीनतम गौका रिपोर्ट दिनांक 18/07/2024 के अनुसार उक्त वाद आराजीगत वर्तमान में गौके पर खाली है फसल काश्त नहीं हुई है, लेकिन अपीलार्थी द्वारा बतिया में उक्त आराजी पर पुनः अतिक्रमण किये जाने की संभावना से इन्कार



*J. Jaini*  
30/7/24

**जिला कलेक्टर  
गंगापूर सिटी (राज०)**

नहीं किया जा सकता । इसलिये अपीलार्थी को भविष्य में उक्त आराजी पर अतिक्रमण नहीं किये जाने हेतु पाबन्द किया जाना आवश्यक है ।

अतः उपरोक्त विवचेना के आधार पर अपील अपीलान्त आंशिक रूप से इस निर्देश के साथ स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी एक शपथ पत्र इस आशय का "अपीलार्थी भविष्य में उक्त आराजी पर अतिक्रमण नहीं करेगा एवं यदि वह अतिक्रमण करता है तो उसके बाद होने वाली समस्त कार्यवाही का वह स्वयं जिम्मेदार होगा " इस निर्णय से 15 दिवस के अन्दर न्यायालय नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी में एवं प्रति इस न्यायालय में पेश कर देता है तो अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय में अपीलान्त को दी गई सिविल कारावास की सजा की हद तक निरस्त माना जावे अन्यथा सिविल कारावास की सजा यथावत मानी जावे । शेष आदेश शास्ति , बेदखली व फसल निलागी को यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 30/07/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।



*Gaurav*  
30/7/24  
(डॉ० गौरव रौनी)  
जिला कलेक्टर  
गंगापुर सिटी

**जिला कलेक्टर  
गंगापुर सिटी (राज०)**